सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2010/54** दायर दिनांक 08.6.2010

वादी		प्रतिवादीगण
1. भगवान सिहं पुत्र गोमसिहं जाति राजपुत निवासी सुद्रासन तहसील डीडवाना	बनाम्	1. ओमप्रकाश पुत्र श्री जीवणराम 2. बनवारी पुत्र श्री जीवणराम 3. सम्पतलाल पुत्र जीवणराम जाति खाती 4. अस्त अली खॉ पुत्र लादु खॉ 5. प्रेमसिह पुत्र गोपाल सिहं 6. इन्द्रसिहं पुत्र गोपालसिहं 7. भंवरसिह पुत्र किशोरसिह 8. दयालसिहं पुत्र किशोरसिह 9. विक्रम सिहं पुत्र मगनसिह 10. नीरजसिह पुत्र मगनसिह 11. औंकारसिंह पुत्र मगनसिंह 12. अशोकसिंह पुत्र मगनसिंह 13. सन्तोष कंवर पुत्री मगनसिंह 14. गिरधारीसिंह पुत्र गोमसिंह 15. गणपतसिंह पुत्र गोमसिंह समस्त जाति राजपुत निवासीगण सुद्रासन तहसील डीडवाना 16. महेन्द्र कुमार पुत्र हरजीराम जाट निवासी जतनपुरा 17. उप तहसीलदार, मौलासर

दावा बाबत्
बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा व घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती वास्ते कायम किये जाने रास्ता व जरिये आज्ञापक व्यादेश अन्तर्गत धारा 53.,188,88

उपस्थित :— पक्षकारान

—:: निर्णय ::—

दिनांक **28.06.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा सुद्रासन की शरहद में खेत खसरा नम्बर 547 रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा स्थित है। नकल खतौनी सम्वत्र 2065 से 2068 की पेश है। कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 5 से 15 का संयुक्त हिन्दु परिवार है। कि उक्त संयुक्त परिवार के चलते हरनाथसिहं जो सबसे बडा लडका सुजानसिहं का था, जो सत्र 1965 में अविवाहित बिना वसीयत किये फौत हो गया उसकी जमीन उस समय मौजुद तीन भाई शक्तिदानसिहं गोपालसिहं व गोमसिहं को प्राप्त हुई। और प्रत्येक का 1/3 हिस्सा दर्ज हुआ इसके बाद सन 1970 में गोपालसिहं फौत हो गया उसके वारिसान तीन लडके किशोर इन्द्र व प्रेम थे। इनके प्रत्येक के 1/9 जमीन हिस्से में आई। इसके बाद सन 1975 में शक्तिदानसिहं अविवाहित बिना वसीयत किये फौत हो गया। शक्तिसिहं के फोतगी

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2013/57
दायर दिनांक 20.03.2013 निर्णय दिनांक 28.06.2017
भगवानसिंह बनाम ओमप्रकाश वगैरा।

के समय केवल उसका सगा भाई गोमसिहं ही मौजुद था, इसलिए उसका हिस्सा गोमसिहं को ही प्राप्त हुआ । अब (1975) मे गोमसिहं के हिस्से मे कुल संयुक्त परिवार की जायदाद में से 2/3 हिस्सा प्राप्त हो गया। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि पेश है। कि उक्त राजस्व रेकर्ड सम्वत्र 2036 से 2039 के मुताबिक आगे राजस्व रेकर्ड पहले की भाति ही दर्ज रहना चाहिये। परन्तु बिना किसी कारण के सम्वत्र 2041 से 2044 की खतौनी में गोमसिहं के लडके गिरधारी सिहं गणपत सिहं भगवानासिहं व उनकी माता के नाम गोमसिहं की मुत्यु के बाद दर्ज किये गये तो उनका हिस्सा केवल 1/3 ही दर्ज किया गया जो गलत है। जबकि इनका हिस्सा 2/3 होना चाहिए था। राजस्व खतौनी सम्वत 2049 से 2052 तक कुल जमीन 64 बीघा सबके सामलाती खाते में थी परन्तु उसमें गिरधारी सिहं के नाम 1/3 ही हिस्सा दर्ज किया जो गलत है। कि खसरा नम्बर 547 रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा में जमीन जरिये रजिस्ट्री बैचाण दिनांक 25.10.1994 गोमसिहं का वारियासान का 2/3 हिस्सा था गोमसिहं के वारिसान चार थे गिरधारी सिहं गणपतसिहं व भगवानसिहं व चाव कंवर थे इनमें से गणपतसिहं व भगवानसिह ने अपने हिस्से मे से 01 बीघा 10 बिस्वा जमीन जरिये रजिस्ट्री बैचाण दिंनाक 25.10.1994 का प्रतिवादी सं0 1 ता 3 को कर दिया। इससे पूर्व गोमसिहं स्वयं ने अपने हिस्से मे से 01 बीघा जमीन प्रतिवादी सं0 4 को जरिये रजिस्टर्ड बैचाण कर दिया था। इस खसरे में गोमसिह का 2/3 हिस्सा मे 08 बीघा 03 बिस्वा जमीन थी, जिसे मे से 01 बीघा गोमसिह ने बैच दी तथा 01 बीघा 10 बिस्वा गणपतसिहं भगवानसिहं ने बैच दी जो शेष जमीन इनके हिस्से की 05 बीघा 08 बिस्वा रही जिसमे बाबत राजस्व रेकर्ड की खतौनी मे गोमसिहं के वारिसान गिरधारीसिहं गणपतसिहं भगवानसिहं चाव कंवर का नाम 05 बीघा 08 बिस्वा में रहना था परन्तु राजस्व रेकर्ड मे गिरधारीसिह व चाव कवरं का ही नाम रखा गया इसमें गणपत सिहं व भगवानसिह का नाम हटा दिया यह राजस्व अधिकारियों की भारी भूल है। कि दिनांक 25.10.1994 को प्रतिवादी सं0 1 ता 3 को केवल 1 बीघा 10 बिस्वा जमीन गणपत सिहं व भगवानसिहं ने बैचाण की परन्तु म्यूटेशन में उनका एक सम्पूर्ण संभावित हिस्सा बैचाण दर्ज कर दिया और खतौनी सम्वत 2053 से 56 में केवल गिरधारीसिह व चाव कंवर का ही नाम रखा गया और भगवानसिहं व गणपतसिहं का नाम हटा दिया और प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के नाम 1 बीघा 10 बिस्वा के बजाय 03 बीघा 01 बिस्वा की खातेदारी में गलत दर्ज कर दी गई। क्योकिं उनके नाम रजिस्ट्री 1 बीघा 10 बिस्वा की है। कि गोपालसिहं के वारिसान प्रतिवादी सं0 5 से 13 के नाम राजस्व रेकर्ड में 1/3 ही दर्ज होनी थी परन्तु राजस्व अधिकारियों की गलती से गोपालसिह का पुत्र किशोरसिह के अकेले के नाम 1/3 तथा दूसरे दो भाई इन्द्रसिहं व प्रेमसिह के नाम 1/3 गलती से दर्ज कर दी गई उक्त तीनों काकुल 12 बीघा 05 बिस्वा जमीन में 1/3 हिस्सा ही था। परन्तु गलत म्यूटेशन भरने व खतौनी में गलत हिस्सा दर्ज होने से प्रतिवादी सं0 6 ने बिना अधिकार व बिना बदल किये व बिना कब्जा दिये अपना हिस्सा 1/6 बताकर प्रतिवादी सं0 16 को बैचाण कर दिया जबकि उसका हिस्सा वास्तव में 1/9 ही था। 1/3 हिस्सा दोनों भाईयो का बताकर अपना सम्पूर्ण संभाावित हिस्सा बैचाण गलत था। उसका हिस्सा 1/9 ही था। 1/3 हिस्सा दोनों भाईयों का नहीं था बैचाण गलत है। इस प्रकार खतौनी सम्वत 2061 से 2064 गलत बनी है। कि मौजा सुद्रासन की सरहद में खसरा नम्बर 547 रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा में से वादी व प्रतिवादी सं0 14 व 15 के खातेदारी में 05 बीघा 13 बिस्वा भूमि सबकी शामलाती मे घोषित की जावें । अर्थात 04 बीघा 01 बिस्वा प्रतिवादी सं0 5 से 13 तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के हिस्से मे 01 बीघा 10 बिस्वा तथा प्रतिवादी सं0 4 के हिस्से की 01 बीघा असैर वादी के हिस्से की 02 बीघा 06 बिस्वा तथा प्रतिवादी सं0 14 के हिस्से की 02 बीघा 08 बिस्वा तथा प्रतिवादी सं0 15 के हिस्से की 01 बीघा राजस्व रेकर्ड में घोषित कर इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में दुरुस्ती की जावें।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2013/57
दायर दिनांक 20.03.2013 निर्णय दिनांक 28.06.2017
भगवानसिंह बनाम ओमप्रकाश वगैरा।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट नुवां में पेश हुई। वादी उपस्थित। पक्षकारान को सुना गया। रेकर्ड का अवलोकन किया। अतः दस्तावेजी साक्ष्यों व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के अनुसार वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

–:: आदेश ::–

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद मौजा सुद्रासन की सरहद के खसरा नम्बर 547 रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा में से 04 बीघा 01 बिस्वा प्रतिवादी सं0 5 से 13, प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के हिस्से मे 01 बीघा 10 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 4 के हिस्से की 01 बीघा, वादी के हिस्से की 02 बीघा 06 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 14 के हिस्से की 02 बीघा 08 बिस्वा तथा प्रतिवादी सं0 15 के हिस्से की 01 बीघा भूमि घोषित कर स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं0 06 इन्द्रसिंह ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी सं0 16 महेन्द्र कुमार को बेचान कर दिया है। अतः प्रतिवादी सं0 06 का हिस्सा प्रतिवादी सं0 16 के घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **28.06.2017** को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प नुवां में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)
Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2013/57** दायर दिनांक **20.03.2013**

वादी		प्रतिवादीगण
1. भगवान सिहं पुत्र गोमसिहं जाति राजपुत निवासी सुद्रासन तहसील डीडवाना	बनाम्	1. ओमप्रकाश पुत्र श्री जीवणराम समस्त जाति राजपुत निवासीगण सुद्रासन तहसील डीडवाना

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी
अन्तर्गत धारा– 88 R.T.Act.

दिनांक 28.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई पक्षकारान की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद सुद्रासन की सरहद के खसरा नम्बर 547 रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा में से 04 बीघा 01 बिस्वा प्रतिवादी सं0 5 से 13, प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के हिस्से मे 01 बीघा 10 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 4 के हिस्से की 01 बीघा, वादी के हिस्से की 02 बीघा 06 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 14 के हिस्से की 02 बीघा 08 बिस्वा तथा प्रतिवादी सं0 15 के हिस्से की 01 बीघा भूमि घोषित कर स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं0 06 इन्द्रसिंह ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी सं0 16 महेन्द्र कुमार को बेचान कर दिया है। अतः प्रतिवादी सं0 06 का हिस्सा प्रतिवादी सं0 16 के घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....–..... मुबलिंग.....–..... बाबत.....–.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....–..... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **28.06.2017** को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017 कैम्प कोर्ट नुवां में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner